

उश्र के अहकाम

(ज़मीनी पैदावार की ज़कात के मसाइल)



- | | | | | | |
|------------------------------|--------|------------------------|----|----------------------------------|----|
| ● उश्र किसे कहते हैं ? | 8 | ● उश्र देने की फ़ज़ीलत | 8 | ● उश्र किस पैदावार पर वाजिब है ? | 11 |
| ● उश्र कब और किसे दिया जाए ? | 18, 22 | ● उश्र देने का तरीक़ | 18 | ● दा'वते इस्लामी की झल्कियां | 29 |

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार क़ादिरी रज़वी उनार्हे दामें बड़ा काम करने वाले।

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ ये है :

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَلَا شُرُورَ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاَكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह ! उर्ज़ूज़ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले ।

(المُسْطَرَفِ ج ١ ص ٤٤ دار الفكر بيروت)

नोट : अब्बल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये ।

तालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ
व मधिफ़रत



13 शब्वालुल मुर्करम 1428 हि.

कियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) ।

(تاريخ دمشق لابن عساكرة ج ١ ص ١٣٨ دار الفكر بيروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जे हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइंडिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

येह रिसाला “उशर के अहकाम”

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में मुरत्ब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी इन्डिया) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़े मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

હُرूफ़ की पहचान

ف = ﻑ	پ = پ	ٻ = ٻ	ڙ = ڙ	ا = ا
س = س	ڻ = ڻ	ڦ = ڦ	ٿ = ٿ	ت = ت
ھ = ھ	ڦ = ڦ	ڦ = ڦ	ڙ = ڙ	ج = ج
ڻ = ڻ	ڻ = ڻ	ڻ = ڻ	ڻ = ڻ	خ = خ
ڙ = ر	ڻ = ر	ڙ = ر	ڻ = ر	ز = ز
ڙ = ض	س = س	ش = ش	س = س	ڙ = ڙ
ف = ف	گ = گ	ڦ = ڦ	ڙ = ڙ	ت = ت
ڦ = ڦ	گ = گ	ڦ = ڦ	ڪ = ڪ	ڪ = ڪ
ھ = ھ	و = و	و = و	م = م	ل = ل
ڻ = ڻ	ي = ي	ي = ي	ء = ء	ي = ي

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन

दरवाज़ा, अहमदाबाद-1, गुजरात

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

काशत कार इस्लामी भाइयों के लिये एक राहनुमा तहरीर

उँशर के अहङ्काम

(ज़मीन की ज़कात के मसाइल)

पेशकश

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दा'वते इस्लामी)

(शो'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

الْعَصْرُ وَرَسُولُ اللَّهِ رَأَى مَحْمَدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيمَانٍ يَا أَيُّوبُ اللَّهُ

जुम्ला हुकूक बहवक्ते नाशिर महफूज़ हैं

नाम किताब : उशर के अहङ्काम (ज़मीन की ज़कात के मसाइल)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
(शो'बए इस्लाही कुतुब)

सिने तबाअत : जुलाई 2019 ई.

सिने तबाअत : रबीउल अव्वल 1445 हि., सितम्बर 2023 ई.

मक्तबतुल मदीना की मुख्तालिफ़ शाखें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामिअतुल मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मुहम्मद अली सराय रोड (C / 0) जामिअतुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपूर फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़्लाहे दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्प्लेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली – 580024. फ़ोन : 09343268414

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ يَسِّرْ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

अल मदीनतुल इल्मय्या

अज़ : शैख़े त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी

हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार

दामेत बِرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى إِخْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की गैर सियासी तहरीक “दा’वते इस्लामी” नेकी की दा’वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को में आम करने का अ़ज्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उम्र को ब हुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअद्दद मजालिस का कियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल मदीनतुल इल्मय्या” भी है जो दा’वते इस्लामी के उँ-लमा व मुफित्याने किराम كَرَّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तहकीकी और इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छैं शो’बे हैं :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) शो’बए कुतुबे आ’ला हज़रत | (2) शो’बए तराजिमे कुतुब |
| (3) शो’बए दर्सी कुतुब | (4) शो’बए इस्लाही कुतुब |
| (5) शो’बए तफ्तीशे कुतुब | (6) शो’बए तख़्रीज |

“अल मदीनतुल इल्मय्या” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आ’ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शमए रिसालत, मुजह्विदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदूअत, आलिमे शरीअत, परि त्रीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज

अल हाफिज़् अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ की गिरां मायह तसानीफ़ को अःसे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्त्र सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहकीकी और इशाअःती मदनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजलिस की तरफ़ से शाएःअः होने वाली कुतुब का खुद भी मुतालआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

अल्लाह “دَا’वَتِ إِسْلَامِي” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़ी अःता फ़रमाएं और हमारे हर अःमले खैर को ज़ेवरे इख़लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअः में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اَمِينٍ بِجَاهِ الْيَٰٓمِينِ اَمِينٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



रमज़ानुल मुबारक 1425 हि.

पेश लफ्ज़

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !

اَللّٰهُمَّ ! تَبَلِّغْنِي كُوْرَآنَكَوْ سُوْنَتَكَوْ كَيْ गैरِ सियासी तहरीक “दा’वते इस्लामी” की मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” (शो’बए इस्लाही कुतुब) की तरफ से मुख्तालिफ़ मौजूदात पर अब तक दरजनों किताबें और रसाइल अ़वामे अहले सुन्नत की ख़िदमत में पेश किये जा चुके हैं। फ़िल वक्त फ़िक्री मौजूद़ पर मुश्तमिल रिसाला “उँशर के अहकाम (पैदावारे ज़मीन की ज़कात के मसाइल)” आप के सामने है। इस मुख्तासर रिसाले में उँशर से मुतअ़्लिक़ उन तमाम मसाइल का इहाता करने की कोशिश की गई है जिन की ज़रूरत काशत कार इस्लामी भाइयों को पेश आ सकती है।

इस रिसाले को न सिर्फ़ खुद पढ़िये बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों बिल खुसूस ज़मीनदार इस्लामी भाइयों को इस के मुतालए की तरगीब दे कर सवाबे जारिया के मुस्तहिक़ बनिये। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें “अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश” करने के लिये मदनी इनआमात पर अ़मल करने और मदनी क़ाफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए और दा’वते इस्लामी की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्की अ़त़ा फ़रमाए।

اَمِين بِجَاهِ الْبَرِّ الْأَمِينِ مَلِئَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسْلَمَ

शो’बए इस्लाही कुतुब (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या)

नम्बर	उँचान	सफ़हा
1	उँशर का बयान	8
2	उँशर के फ़ृज़ाइल	8
3	उँशर अदा न करने का बबाल	10
4	किस पैदावार पर उँशर वाजिब है ?	11
5	शहद की पैदावार पर उँशर	13
6	किस पैदावार पर उँशर वाजिब नहीं ?	13
7	उँशर वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक़दार	14
8	पागल और ना बालिग़ पर उँशर	14
9	क़र्ज़दार पर उँशर	15
10	शरई फ़कीर पर उँशर	15
11	उँशर के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?	15
12	मुख्तलिफ़ ज़मीनों का उँशर	16
13	ठेके की ज़मीनों का उँशर	16
14	अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उँशर किस पर है ?	17
15	मुश्तरिका ज़मीन का उँशर	17
16	घरेलू पैदावार पर उँशर	18
17	उँशर की अदाएँगी से पहले अख़्ताजात अलग करना	18
18	उँशर की अदाएँगी	18

1	उँशर पेशगी अदा करना	19
2	फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद	19
3	पैदावार बेच दी तो उँशर किस पर है ?	19
4	उँशर की अदाएँगी में ताख़ीर	20
5	उँशर अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल	20
6	उँशर देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	21
7	उँशर में रक़म देना	21
8	अगर त़वील अँसे से उँशर अदा न किया हो तो ?	21
9	अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?	21
10	फ़स्ल ज़ाएअँ होने की सूरत में उँशर	22
11	उँशर किस को दिया जाए	22
12	जिन को उँशर नहीं दे सकते	25
13	इमामे मस्जिद को उँशर देना	26
14	ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	27
15	रबीअँ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	27
16	दा'वते इस्लामी के साथ तआवुन कीजिये	28
17	दा'वते इस्लामी की झालिकयां	29

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

दुरुदे पाक की फृज़ीलत

रहमते आलम, नूरे मुजस्सम ने इशाद फ़रमाया: ऐ लोगो ! बेशक बरोजे कियामत उस की दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरुद शरीफ पढ़े होंगे ।”

(فردوس الاخبار، الحديث ٨٢٠، ج ٢، ص ١٢)

صَلُوٰعَلٰى الْحَبِيبِ! صَلُوٰعَلٰى اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

उँशर का व्याख्यान

सुवाल : उँशर किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन से नफ़्अ हासिल करने की ग़रज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उँशर कहते हैं ।

(الفتاویٰ احمدیہ، کتاب الارکوۃ، الباب السادس، ج ۱، ص ۱۸۵، ملحد)

सुवाल : ज़मीन की ज़कात को उँशर क्यूँ कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन की पैदावार का उमूमन दसवां (1/10) हिस्सा बतौरे ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उँशर (या'नी दसवां हिस्सा) कहते हैं ।

उँशर के फृज़ाइल

सुवाल : उँशर देने की क्या फृज़ीलत है ?

जवाब : उँशर की अदाएँ करने वालों को इन्अ़माते आखिरत की बिशारत है जैसा कि कुरआने पाक में अल्लाह तभ़ाला इशाद फ़रमाता है :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُحْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝
(٣٩: ٢٢، سبأ)

सूराे बक़रह में है :

مَشْلُ الَّذِينَ يُيْقِنُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَيِّئِ الْأَعْمَالِ كَمَشْلُ حَمَّةٍ أَنْتَتْ سَبْعَ
سَاءِيلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَا عَاهَدْ حَبَطَ
وَاللَّهُ أَصْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ طَوَالِهُ
وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ۝ أَلَّذِينَ يُيْقِنُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ لَا يُتَبَعِّدُونَ
مَا أَنْفَقُوا مَنَّا لَا أَذْهَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْ دَرَائِهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝

(٢١٨، ٢١٩، البقرة: ٢٣)

सरवरे आलम, नूरे मुजस्सम उम्मत के लिये कई मकामात पर राहे खुदा ग्रोज़ेल में खर्च करने के कई फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्वे

हज़रते साय्यदुना हसन رضي الله تعالى عنه سे مरवी है कि नबिय्ये करीम, رک्फुर्हीम ने इर्शाद फ़रमाया : “ज़कात दे कर अपने मालों को मज़बूत क़लओं में कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदके से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ व तज़र्रोء़ (या'नी गिर्या व ज़ारी) से इस्तआनत (या'नी मदद त़लब) करो । ” (مراييل ابي داود مع سنن ابي داود، باب في الصائم، ٨)

तरजमए कन्जुल ईमान : और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़क देने वाला ।

तरजमए कन्जुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह जिस ने उगाई सात बालीं । हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अत वाला इल्म वाला है वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एहसान रखें न तकलीफ़ दें उन का नेग (इन्झ़ाम) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म ।

और हज़रते सच्चिदुना जाबिर سे रिवायत है कि नबिय्ये पाक साहिबे लौलाक, सच्चाहे अफ़्लाक इशाद फ़रमाया : “जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह तआला ने उस से शर दूर फ़रमा दिया ।”

(معجم الاوسط، باب الالف، الحدیث ١٥٧٩، ج ١، ص ٣٣)

उँशर अदा न करने का वबाल

सुवाल : उँशर अदा न करने का क्या वबाल है ?

जवाब : उँशर अदा न करने वाले के लिये कुरआने पाक व अहङ्कारी से मुबारका में सख्त वर्द्दें आई हैं । चुनान्वे अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है :

وَلَا يَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ
بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ الْأَنْبَاطِ
بَلْ هُوَ شَرُّهُمْ سَيِّطُّوْقُونَ مَا بَخْلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَمةِ
(آل عمران: ١٨٠).

तरजमए कन्जुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्करीब वोह जिस में बुख़ल किया था कियामत के दिन उन के गले का तौक होगा ।

हज़रते सच्चिदुना अबू हुरैरा سे रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार, दो आलम के मालिको मुख़्तार चली अल्लाह ग़रज़ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो कियामत के दिन वोह माल ग़न्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या’नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौक बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाढ़े पकड़ेगा और कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं । इस के बाद नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक, सच्चाहे अफ़्लाक चली अल्लाह तालिम्या (दा’वते इस्लामी) ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
بِأَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ الْمُهَمَّطِ
بِلْ هُوَ شَرُّهُمْ سَيِّئُوْقُونَ مَا بَخْلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(بٌ، آل عمران: ١٨٠)

तरजमए कन्जुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अङ्करीब वोह जिस में बुख़ल किया था कियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा ।

(ج़ीहुं الْخَارِي، كِتَابُ الْإِرْكَوَة، بَابُ أَثْمَانِ الْأَرْكَوَة، الْمَدِيْرِىثُ، ج١، ص٢٧)

हज़रते सव्यिदुना बुरीदा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “जो कौम ज़कात न देगी अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उसे क़हूत में मुब्लिला फ़रमाएगा ।”

(أَمْجَادُ الْاَوْسَطِ، الْمَدِيْرِىثُ، ج٢٥، ص٣٧)

हज़रते सव्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन उमर फ़ारूक़े आ'ज़म रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिये करीम, रउफुरहीम चَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “खुशकी व तरी में जो माल तलफ़ होता है, वोह ज़कात न देने की वज्ह से तलफ़ होता है ।”

(كِنْزُ الْعِمَالِ، كِتَابُ الْإِرْكَوَة، أَفْصَلُ الْأَثَنِيِّ فِي تَهْبِيبِ مَانِعِ الْأَرْكَوَة، الْمَدِيْرِىثُ، ج١، ص١٣)

किस पैदावार पर उशर वाजिब है ?

सुवाल : ज़मीन की किस पैदावार पर उशर वाजिब है ?

जवाब : जो चीजें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ्रूट हों या सब्ज़ियां वगैरा मसलन अनाज और ग़ल्ला में गन्दुम, जव, चावल, गना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूँगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वगैरा ।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरुद, मालटा, लोकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आडू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वगैरा ।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तोरिया, फूल गोभी, बन्द गोभी, शलगम, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज़, लहसन, पालक, धनिया और मुख्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी और बैंगन वगैरा ।⁽¹⁾ इन सब की पैदावार में से उशर (या'नी दसवां हिस्सा) या निस्फ उशर (या'नी बीसवां हिस्सा) वाजिब है ।

(الفتاوی الحنفیة، كتاب الزکوة، الباب السادس، ج ۱، ص ۱۸۶)

अल्लाह तआला ने सरतल अन्नाम में कर्माया :

وَأُتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
 (سُورَةُ الْإِنْجَامِ: ١٣)

इमामे अहले सुन्नत मुजहिदे दीनो मिल्लत, परवानए शाम् रिसालत,
 अश्शाह इमाम अहमद रजा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن लिखते हैं कि अक्सर
 मुफस्सिरीन मसलन हज़रत इब्ने अब्बास, ताउस, हसन, जाबिर बिन
 जैद और सईद बिन मुसय्यब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ के नज़दीक इस हक़ से मुराद
 उश्र है। (फतावा रजविय्या जदीद, किताबज्जकात, जि. 10, स. 65)

1 : मौसिम के ए' तिबार से फ़स्लों, फलों और सब्जियों की तप्सील स. 27 पर मुलाहजा फरमाएं।

हज़रते सम्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूल अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उन में उँशर (दसवां हिस्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उँशर (बिसवां हिस्सा वाजिब) है।”

(صحیح مسلم، کتاب الزکوة، باب ما في الحشر اونصف العشر، المدحیث، ج ۱، ص ۹۸۸)

सुवाल : निस्फ़ उँशर से क्या मुराद है ?

जवाब : निस्फ़ उँशर से मुराद बीसवां हिस्सा 1/20 है।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 15)

شہد کی پیداوار پر ٹھ्र

सुवाल : ٹھرी ज़मीन में जो شہد पैदा हो क्या उस पर भी उँशर देना पड़ेगा ?

जवाब : जी हाँ।

(الفتاوى الحمدية، کتاب الزکوة، الباب السادس، ج ۱، ص ۱۸۶)

کیس پैदاوار पर ٹھر वाजिब नहीं ?

सुवाल : کिन فُस्लों पर ٹھर वाजिब नहीं ?

जवाब : जो चीजें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक़्सूद न हो उन में ٹھर नहीं जैसे ईधन, घास, बेद, सरकन्डा, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं), खजूर के पत्ते वगैरा, इन के इलावा हर किस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से तरकारियां मक़्सूद होती हैं बीज मक़्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के तौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कुन्दुर, मेथी और कलौंजी वगैरा के बीज, उन में भी ٹھर नहीं है। इसी तरह वोह चीजें जो

ज़मीन के ताबेअः हों जैसे दरख़त और जो चीज़ दरख़त से निकले जैसे गोंद, उस में उँशर वाजिब नहीं ।

अलबत्ता अगर घास, बेद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वगैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअः हासिल करना मक्सूद हो और ज़मीन इन के लिये खाली छोड़ दी तो इन में भी उँशर वाजिब है । कपास और बैंगन के पौदों में उँशर नहीं मगर इन से हासिल कपास और बैंगन की पैदावार में उँशर है ।

(در مختار، کتاب الرکوۃ، باب اعشر، ج ۳۱۵ ص، الفتاوی الاصنفیہ، کتاب الرکوۃ، الباب السادس فی رکوۃ الزرع، ج ۱، ص ۱۸۶)

उँशर वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक़दार

सुवाल : उँशर वाजिब होने के लिये ग़्ल्ला, फल और सब्ज़ियों की कम अज़ कम कितनी मिक़दार होना ज़रूरी है ?

जवाब : उँशर वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़्ल्ला, फल और सब्ज़ियों की जितनी पैदावार भी हासिल हो उस पर उँशर या निस्फ़ उँशर देना वाजिब होगा ।

(الفتاوی الاصنفیہ، المرجح (السابق))

पागल और ना बालिग़ पर उँशर

सुवाल : अगर इन की पैदावार का मालिक पागल और ना बालिग़ हो तो उस को भी उँशर देना होगा ?

जवाब : उँशर चूंकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उँशर अदा करेगा चाहे वोह मज्नून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो ।

(الفتاوی الاصنفیہ، کتاب الرکوۃ، الباب السادس فی رکوۃ الزرع، ج ۱، ص ۱۸۵، ملخصاً)

कर्जदार पर उशर

सुवाल : क्या कर्जदार को उशर मुआफ़ है ?

जवाब : कर्जदार से उशर मुआफ़ नहीं, इस लिये अगर कर्ज ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काश्त कार पहले से मकरूज़ हो या कर्ज ले कर काश्त कारी की हो इन सब सूरतों में कर्जदार पर भी उशर वाजिब है।”

(الدر المختار و رواي تار، كتاب الزكوة، باب العشر، ح ٣، ص ٣٢)

अल्लामा आलिम बिन अल अन्सारी رحمهُ اللہ عَلَيْهِ فَرِماَتَ हैं कि “ज़कात के बर ख़िलाफ़ उशर मकरूज़ पर भी वाजिब होता है।”

(فتاویٰ تاتار خانیہ، كتاب العشر، ح ٢، ص ٣٣٠)

शरई फ़कीर पर उशर

सुवाल : क्या शरई फ़कीर पर भी उशर वाजिब होगा ?

जवाब : जी हां, शरई फ़कीर पर भी उशर वाजिब है क्यूं कि उशर वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी क़ाबिले काश्त) से हड़कीकतन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़कीर होने का कोई ए'तिबार नहीं।

(أخذ من الحنفية والخلفية، كتاب الزكوة، باب زكاة الضروع، ح ٢٤، ص ١٨٨)

उशर के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?

सुवाल : क्या उशर वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त है ?

जवाब : उशर वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उशर वाजिब है।

(الدر المختار و رواي تار، كتاب الزكوة، باب العشر، ح ٣، ص ٣٢)

मुख्तलिफ़ ज़मीनों का उँशर

सुवाल : मुख्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग तरीके इस्ति'माल किये जाते हैं, तो क्या हर क़िस्म की ज़मीन में उँशर (या'नी दसवां हिस्सा ही) वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिल्सिले में क़ाइदा येह है कि

☆ जो खेत बारिश, नहर, नाले के पानी से (क़ीमत अदा किये बिगैर) सैराब किया जाए, उस में उँशर या'नी दसवां हिस्सा वाजिब है,

☆ जिस खेत की आबपाशी डोल (या अपने ठ्यूब वेल) वगैरा से हो, उस में निस्फ़ उँशर या'नी बीसवां हिस्सा वाजिब है,

☆ अगर (नहर या ठ्यूब वेल वगैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्कियत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ़ उँशर वाजिब है,

☆ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ दिन डोल (या अपने ठ्यूब वेल) वगैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ठ्यूब वेल) वगैरा से तो उँशर वाजिब है वरना निस्फ़ उँशर वाजिब है।

(دریتی رورا الحکیم، کتاب الازکۃ، باب العشر، ج ۳۱، ص ۳۷)

ठेके की ज़मीनों का उँशर

सुवाल : क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उँशर होगा ?

जवाब : जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उँशर होगा ।

सुवाल : येह उँशर कौन अदा करेगा ?

जवाब : इस उँशर की अदाएँगी काश्त कार पर वाजिब होगी ।

(دریتی رورا الحکیم، کتاب الازکۃ، باب العشر، ج ۳۱، ص ۳۷)

अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उँशर किस पर है ?

सुवाल : अगर ज़मीन का मालिक खुद खेतीबाड़ी में हिस्सा न ले बल्कि मुज़ारियों से काम ले तो उँशर मुज़ारेअः पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

जवाब : इस सिल्सिले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारेअः से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा हिस्सा वगैरा मालिके ज़मीन का और बक़िया मुज़ारेअः का हो तो इस सूरत में दोनों पर उन के हिस्से के मुताबिक़ उँशर वाजिब होगा सदरुशशरीअःह, बदरुत्तरीक़ह, मौलाना अमजद अळी आ'ज़मी रَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بहारे शरीअःत में फ़रमाते हैं, “उँश्री ज़मीन बटाई पर दी तो उँशर दोनों पर है ।” (बहारे शरीअःत, हिस्सा : 5, स. 54)

और अगर मुज़ारेअः से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी मसलन फ़ी एकड़ पचास हज़ार रुपिया तो इस सूरत में उँशर मुज़ारेअः पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं ।

(ماخواز بِدَائِع الصَّاغَةِ، ج ٢، ص ٢٧)

मुश्तरिका ज़मीन का उँशर

सुवाल : जो ज़मीन किसी की मुश्तरिका मिल्किय्यत हो तो उँशर कौन अदा करेगा ?

जवाब : उँशर की अदाएँगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उँशर अदा करेगा । **फ़तावा शामी** में है कि “उँशर वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है क्यूं कि उँशर पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है ।”

(ردا، رکاب الْكُوَّة، باب الْعُشْر، ج ٣، ص ٢٣)

घरेलू पैदावार पर उँशर

सुवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उँशर होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उँशर वाजिब नहीं है।

(الدر المختار،كتاب الراوية،مطلوب هم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية،ج.٣،ص.٣٢٠)

उँशर की अदाएँगी से पहले अख़्राजात अलग करना

सुवाल : क्या उँशर कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़्राजात वगैरा निकाल कर बक़िय्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में उँशर या निस्फ़ उँशर वाजिब हो, उस में कुल पैदावार का उँशर या निस्फ़ उँशर लिया जाएगा । ऐसा नहीं है कि ज़िराअ़त, हल, बैल, हिफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अदवियात वगैरा के अख़्राजात निकाल कर बाक़ी का उँशर या निस्फ़ उँशर दिया जाए ।

(الدر المختار و رواهُوا،كتاب الراوية،مطلوب هم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية،ج.٣،ص.٣١٧)

सुवाल : हुकूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

जवाब : जी नहीं, उस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उँशर का हिसाब लगाया जाएगा ।

उँशर की अदाएँगी

सुवाल : उँशर कब अदा करना होगा ?

जवाब : जब पैदावार हासिल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएं और नफ़अ़ उठाने के क़बिल हो जाएं तो उँशर वाजिब हो जाएगा । फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द हिसाब लगा कर उँशर अदा करना होगा ।

(الدر المختار و رواهُوا،كتاب الراوية،باب الحشر،مطلوب هم في حكم اراضي....ج.٣،ص.٣٢١)

उँशर पेशगी अदा करना

सुवाल : क्या उँशर पेशगी तौर पर अदा किया जा सकता है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं :

- (1) जब खेती तथ्यार हो जाए तो उस का उँशर पेशगी देना जाइज़ है ।
 - (2) खेती बोने और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी जाइज़ है ।
 - (3) अगर बोने के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़हर (या'नी ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेशगी अदा करना जाइज़ नहीं ।
 - (4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेशगी देना जाइज़ नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है । (۱۸۶ ج ۷، کتاب الراکحة، فتاوی عالیگیری)
- मदीना :** अगर्चे ज़िक्र की गई बा'ज़ सूरतों में पेशगी उँशर अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़्ज़ल येह है कि पैदावार हासिल होने के बा'द उँशर अदा किया जाए । (۳۹۱ ج ۲، کتاب الراکحة، البحار الائمن)

फल ज़ाहिर होने और खेती तथ्यार होने से मुराद

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तथ्यार होने से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद येह है कि खेती इतनी तथ्यार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि उन के ख़राब होने या सूख जाने वगैरा का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने या काटने के क़ाबिल न हुए हों ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, جि. 10, س. 241)

पैदावार बेच दी तो उँशर किस पर है ?

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तथ्यार होने के बा'द फल बेचे तो उँशर बेचने वाले पर होगा या खरीदने वाले पर ?

जवाब : ऐसी सूरत में उँशर बेचने वाले पर होगा ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, جि. 10, س. 241)

उँशर की अदाएंगी में ताख़ीर

सुवाल : उँशर अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

जवाब : उँशर पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अहङ्काम ज़कात की अदाएंगी के हैं, वोही अहङ्काम उँशर की अदाएंगी के भी हैं। इस लिये बिगैर मजबूरी के इस की अदाएंगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक्कूल नहीं।

(الفتاوى الحمدية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ح ١، ج ٢، م ١٧٠)

सुवाल : अगर कोई उँशर वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

जवाब : जो खुशी से उँशर न दे तो बादशाहे इस्लाम जब्रन (या'नी ज़बर दस्ती) उस से उँशर ले सकता है और इस सूरत में भी उँशर अदा हो जाएगा मगर सवाब का मुस्तहिक़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तहिक़ है।” (الفتاوى الحمدية، كتاب الزكوة، الباب السادس في زكوة المزروع والثمار، ح ١، ج ٢، م ١٨٥)

मदीना : याद रहे कि ज़बर दस्ती उँशर वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है आम लोगों को येह इख्लियार हासिल नहीं है। ऐसी सूरते हाल में उसे उँशर अदा करने की तरगीब दी जाए और रब तआला की नाराज़गी का एहसास दिलाया जाए। ऐसे लोगों को येह रिसाला पढ़ने के लिये तोहफ़तन पेश करना भी बेहद मुफ़ीद होगा، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

उँशर अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल

सुवाल : क्या उँशर अदा करने से पहले पैदावार इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : जब तक उँशर अदा न कर दे या पैदावार से उँशर अलग न कर ले, उस वक्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं

और अगर इस्ति'माल कर लिया तो उस में जो उँशर की मिक़दार बनती है उतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ति'माल कर लिया तो मुआफ़ है ।

(الدر المختار رواه الحنفی، كتاب الزكوة، بطلب محمد بن حماد، ج ٢، ص ٣٣٢، ٣٣٣)

उँशर देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

सुवाल : जिस पर उँशर वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या उस में से उँशर दिया जाएगा ?

जवाब : ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो उस पैदावार में से उँशर दिया जाएगा ।

(الفتاوى الحنبلي، كتاب الزكوة،باب المسائل في زكوة الربيع، ج ١، ص ١٨٥)

उँशर में रक़म देना

सुवाल : क्या उँशर में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या उस की क़ीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उँशर अ़लाह़दा करे या उस की पूरी क़ीमत (बतौरे उँशर) दे, दोनों तरह से जाइज़ है ।

(अल फ़तावल मुस्त़फ़विया, स. 298)

अगर त़वील अ़र्से से उँशर अदा न किया हो तो ?

सुवाल : अगर कई साल उँशर अदा न किया तो क्या किया जाए ?

जवाब : उँशर की अ़दमे अदाएँगी पर तौबा करे और साबिक़ा सालों के उँशर का हिसाब लगा कर ब क़दरे इस्तित़ाअ़त अदा करता रहे ।

(ماخُبُّ اَجْ اَلْ فَتَّاَوَلِ مُسْتَفَيْيَا، س. 298)

अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?

सुवाल : अगर ज़िराअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काश्त नहीं की तो क्या इस सूरत में भी उस पर उँशर वाजिब होगा ?

जवाब : अगर किसी ने ज़िराअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद फ़स्ल काश्त नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उँशर की अदाएँगी

वाजिब नहीं क्यूं कि उँशर ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है।

(رواحکار، کتاب الزکوة، باب العشر، ج ۲، ص ۳۲۲)

फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उँशर

सुवाल : अगर किसी वज्ह से फ़स्ल ज़ाएअ़ हो गई तो उँशर वाजिब होगा?

जवाब : खेत बोया मगर पैदावार ज़ाएअ़ हो गई मसलन खेती ढूब गई या जल गई या सर्दी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उँशर साक़ित है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाक़ी है तो उस बाक़ी का उँशर लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उँशर) साक़ित नहीं और (उँशर) साक़ित होने के लिये येह भी शर्त है कि इस के बाद उस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़िराअ़त तथ्यार न हो सके और येह भी शर्त है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित नहीं।

(رواحکار، کتاب الزکوة، باب العشر، ج ۲، ص ۳۲۲)

उँशर किस को दिया जाए

सुवाल : उँशर किसे दिया जाए?

जवाब : उँशर चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है, इस लिये जिन को ज़कात दी जा सकती है उन को उँशर भी दिया जा सकता है।

(الفتاوی الحنفیہ، کتاب الزکوة، فصل فی العشر فی ما يخرج الأرض، ج ۱، ص ۱۳۲)

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है:

- (1) फ़क़ीर
- (2) मिस्कीन
- (3) आ़मिल
- (4) रिक़ाब
- (5) ग़ारिम
- (6) फ़ी सबीलिल्लाह
- (7) इनुस्सबील या'नी मुसाफ़िर।

(الفتاوی الحنفیہ، کتاب الزکوة، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۷)

वज़ाहत

फ़कीर : वोह जो मालिके निसाब न हो। मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख्स के पास साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले चांदी, या इतनी मालिय्यत की रक़म, या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो, या इतनी मालिय्यत का ज़रूरियाते जिन्दगी से ज़ाइद सामान हो और उस पर अल्लाह तभ़ाला या बन्दों का इतना कर्ज़ न हो कि जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाकी न रहे।

(الفتاوی الـ۱۰، کتاب الأکوہ، الباب السالع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۷)

मदीना : ज़रूरिय्याते जिन्दगी से मुराद वोह चीज़े हैं जिन की उम्मून इन्सान को ज़रूरत होती है और इन के बिगैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मुतअ़्लिक किताबें और पेशे से मुतअ़्लिक औज़ार वगैरा। अल्लाह तभ़ाला के कर्ज़ से मुराद साबिक़ा ज़कात या कुरबानी वाजिब होने के बा वुजूद न करने की सूरत में जानवर की कीमत सदक़ा करना है।

मिस्कीन : वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि वोह खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे।

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

आमिल : वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उशर वुसूल करने के लिये मुक़र्रर किया हो।

(۱۸۸، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

मदीना : सदरुशशरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَهْرَةُ شَارِيَّتِ اَمَّا مَنْ يَأْتِي بِهِ مِنْ فَرَمَاتِهِ فَهُوَ "आमिल" अर्गचे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमी हो तो

उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हाँ अगर किसी और मद (या'नी ज़िम्म) में दें तो लेने में हरज नहीं।” (लेकिन फ़ी ज़माना शरई आमिल मौजूद नहीं हैं) (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 57)

रिकाब : से मुराद मुकातब गुलाम है। मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जिस से उस के आक़ा ने उस की आज़ादी के लिये कुछ कीमत अदा करना तै की हो। फ़ी ज़माना रिकाब मौजूद नहीं। (अल मर्ज़उस्साबिक)

ग़ारिम : से मुराद मक्खज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि उसे निकालने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चें इस का दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर कुदरत न रखता हो।

(الدر المختار مع روايَات الحنفية، كتاب الأركوة، باب المصرف، ج ٣، ص ٣٣٩)

फ़ी سबीलिल्लाह : या'नी राहे खुदा में ख़र्च करना, इस की चन्द सूरतें हैं।

(1) कोई शाख़ मोह़ताज है और येह राहे खुदा में जाना चाहता है उस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे खुदा مُعْوَجَل में देना है अगर्चें वोह कमाने पर क़ादिर हो।

(2) कोई हज़ के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादे राह नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे हज़ के लिये लोगों से सुवाल करना जाइज़ नहीं।

(3) तालिबे इल्म, इल्मे दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उस को भी दे सकते हैं कि येह राहे खुदा مُعْوَجَل में ख़र्च करना है बल्कि तालिबे इल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है अगर्चें वोह कमाने पर कुदरत रखता हो।

(4) इसी तरह हर नेक काम में माले ज़कात इस्त'माल करना फ़ी

سَبَبَيْلِ لِلَّهَا حُ يَا' نِي الْأَلَّا حُ عَزَّ وَجَلَّ کी راہ میں خُرچ کرنا ہے । مالے جُکات (�ور ڈش) میں دوسرے کو مالیک کر دینا جُرُری ہے، بیگیر مالیک کیے جُکات ادا نہیں ہو سکتی । (الدرالجعیر، کتب الارکوۃ، باب المصرف، ج ۲، ص ۳۴۵)

ઇං୍ଜେ سବୀଲ : يَا' نِي وَه مُسَافِر (�ہ مُسَافِر سے مُرାଦ شର୍ଈ مُسَاଫିର ہے اور شର୍ଈ مُسَاଫିର وَه ہے جو تକ୍ରିବନ 92 କିଲୋ ମීଟର ସଫର କରନେ କା ଇରାଦା ରଖତା ہے) ଜିସ କେ ପାସ ସଫର କି ହାଲତ ମେ ମାଲ ନ ରହା، ଯେହ ଜُکାତ ଲେ ସକତା ہے ଅଗରେ ଇସ କେ ଘର ମେ ମାଲ ମୌଜୁଦ ہୋ ମଗର ଉସି କଢର ଲେ ଜିସ ସେ ଉସ କେ ଜُରୁତ ପୂରී ہୋ ଜାଏ، ଜିଯାଦା କେ ଇଜାଜତ ନହିଁ ।

(الفتاوى الحمدية، كتاب الأركوة، الباب السابع في المصارف، ج ۱، ص ۱۸۸)

ମଦୀନା (1) : سଦରୁଶଶରୀଅଭ୍ୟ, ବଦରୁତ୍ତରୀକହ ମୁଫ୍ତି ମୁହମ୍ମଦ ଅମଜଦ ଅଲୀଆ'ଜମୀବି رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ବହରେ ଶରୀଅତ ମେ ଫ୍ରମାତେ ہିଁ କି “ଜିନ ଲୋଗୋକୀ ନିଷ୍ବତ ଯେହ ବ୍ୟାନ କିଯା ଗଯା କି ଉନ୍ହେଂ ଜُکାତ ଦେ ସକତେ ہିଁ ଉନ ସବ କା ଫକୀର ହୋନା ଶର୍ତ୍ତ ହୈ ସିଵାଏ ଆମିଲ କେ କି ଇସ କେ ଲିଯେ ଫକୀର ହୋନା ଶର୍ତ୍ତ ନହିଁ ଔର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାବଳୀ (ମୁସାଫିର) ଅଗରେ ଗୁଣି ୱହ ଉସ ବକ୍ତା ଫକୀର କେ ହୃକ୍ଷମ ମେ ହୈ ବାକୀ କିସି କୋ ଜୋ ଫକୀର ନ ହୋ ଜُକାତ ନହିଁ ଦେ ସକତେ ।”

(ବହରେ ଶରୀଅତ, ହିସ୍ସା : 5, ପାତ୍ର 63)

ମଦୀନା (2) : ଜُକାତ ଦେନେ ଵାଲେ କେ ଇଞ୍ଜିଯାର ହୋତା ہୈ କି ଚାହେ ତୋ ଉଶର କେ ଇନ ତମାମ ଅଫ୍ରାଦ ମେ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ତକ୍ସିମ କର ଦେ ଔର ଅଗର ଚାହେ ତୋ କିସି ଏକ ହି କୋ ଦେ ଦେ । ଅଗର ମାଲେ ଜُକାତ ଇତନା ہୈ କି ବ କଢରେ ନିସାବ ନହିଁ ୱହ ଏକ ହି ଶାଖ୍ସ କୋ ଦେ ଦେନା ଅଫ୍ଜଲ ୱହ ଔର ଅଗର ବ କଢରେ ନିସାବ ୱହ ତୋ ଏକ ହି ଶାଖ୍ସ କୋ ଦେ ଦେନା ମକ୍ରୁହ ୱହ, ଲେକିନ ଜُକାତ ବହର ହାଲ ଅଦା

हो जाएगी। हां अगर वोह शाख़ूस ग़ारिम या'नी क़र्ज़दार है तो उस को इतना दे देना कि क़र्ज़ निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे, बिला कराहत जाइज़ है।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 59)

जिन को उशर नहीं दे सकते

सुवाल : वोह कौन से लोग हैं जिन को उशर नहीं दे सकते?

जवाब : उशर चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को उशर भी नहीं दे सकते। मसलन

(1) बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते चाहे देने वाला हाशिमी हो या गैर हाशिमी। बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व जा'फ़र व अ़कील और हज़रते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

(2) अपनी अस्ल या'नी मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वगैरा जिन की औलाद में येह (या'नी ज़कात देने वाला) है और अपनी औलाद मसलन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वगैरा को ज़कात नहीं दे सकते।

(درالحقیقہ، کتاب الراکۃ، باب المصرف، ج ۳۷۷، ص ۳۷)

(3) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह अगर शोहर तलाक़ दे चुका हो और औरत इद्दत में हो तो शोहर उसे ज़कात नहीं दे सकता और अगर इद्दत गुज़र चुकी हो तो ज़कात दे सकता है।

(الدرالحقیقہ، درالحقیقہ، کتاب الراکۃ، باب المصرف، ج ۳۷۵، ص ۳۷۵)

इमामे मस्जिद को उशर देना

सुवाल : क्या इमामे मस्जिद को उशर दिया जा सकता है?

जवाब : इमाम साहिब अगर शरई फ़क़ीर न हों या सच्चिद साहिब हों तो

उन को उशर नहीं दिया जा सकता और अगर वोह शरई फ़कीर हों और सच्चिद ज़ादे न हों तो उस को उशर दिया जा सकता है बल्कि अगर वोह आलिम हों तो उन्हीं को देना अफ़ज़ल है। मगर आलिम को देते वक्त इस बात का लिहाज़ रखा जाए कि उस का एहतिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को कोई चीज़ नज़र करते हैं और हलाकत बल्कि बहुत बड़ी हलाकत है। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

फ़तावा आलमगीरी में है कि “फ़कीर आलिम पर सदक़ा करना जाहिल फ़कीर पर सदक़ा करने से अफ़ज़ल है।”

(الفتاوى الحمدية، كتاب الركوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص ١٨٧)

सुवाल : इमामे मस्जिद को बतौरे उजरत उशर देना कैसा ?

जवाब : इमामे मस्जिद को (हीलए शरई के बिग्रे) बतौरे उजरत उशर देना जाइज़ नहीं क्यूं कि मस्जिद मसारिफ़े ज़कात में से नहीं है और उशर के अहङ्काम वोही हैं जो ज़कात के हैं।

(ما خذ من الفتاوى الحمدية، كتاب الركوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص ١٨٨)

मदीना : फुक़हाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ज़कात (व उशर) का शरई हीला करने का तरीक़ा यूँ इर्शाद फ़रमाते हैं, कि फ़कीर को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगैरा में) सर्फ़ करे, इस तरह सवाब दोनों को होगा।

(رواية روح العلوم ٣٣٣)

मज़ीद तप्सील के लिये रिसाला “क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा” अज़ अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना मुहम्मद इल्यास अंतार क़ादिरी مَدْتَلِي العَالِي का मुतालआ करें।

ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

ख़रीफ़ : इस से मुराद मौसिमे गर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काशत मौसिमे गर्मा के आग़ाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गर्मा के इख़िताम और ख़ज़ान में अगस्त ता नवम्बर होती है।

ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें :

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूँगफली, मकई, कमाद (या'नी गना) और सूरज मुखी ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें हैं दालों में दाल मूँग, दाल माश और लोबिया ख़रीफ़ में काशत होती हैं।

सब्ज़ियां: गर्मियों में कहू़ शरीफ़, टींडा (टिन्डा), करेला, भीन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घिया तूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरबी शामिल हैं।

फल : मौसिमे गर्मा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आडू, खजूर, आलू बुख़ारा, गर्मा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं।

रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

रबीअ़ : इस से मुराद मौसिमे सर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काशत मौसिमे सर्मा के आग़ाज़ में अक्तूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सर्मा के इख़िताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता अप्रैल होती है।

रबीअ़ की अहम फ़स्लें :

रबीअ़ की अहम फ़स्लों में गन्दुम, चना, जव, बरसीम, तोरिया, राई, सरसों और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ़ की अहम फ़स्ल है।

सब्ज़ियां : फूल गोभी, बन्द गोभी, शलगृम, गाजर, चुकन्दर, मटर,

पियाज़, लहसन, मूली, पालक, धनिया और मुख्तालिफ़ किस्म के साग और मेथी शामिल हैं।

फल : रबीअ० के फलों में माल्टा, लोकाट, बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलोक (जापानी फल), संगतरा, पपीता, और नारियल शामिल हैं। उमूमन शहद भी रबीअ० की फ़स्ल के साथ ही हासिल किया जाता है।

दा'वते इस्लामी के साथ तआवुन कीजिये

أَنْجُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَبَلَّغَ كُرَآنُوكَمْبُرْ كُرَآنَوْ سُونَتَ كَيْ غَيْرَ سِيَاهِيَ تَهْرِيَكَ دَاءَوْتَهِ إِسْلَامِيَ 107 سَيْ جِيَادَا شَوَّ بَاجَاتَ مَيْ مَدَنِيَ كَامَ كَارَ رَهِيَ هَيْ | بَارَ اَكَارَمَ ! اَپَنِي جَكَاتَ उशर और سदक़ात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़िरादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उशर और दीगर अ़तिय्यात दा'वते इस्लामी के मदनी मर्कज़ पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मेदार इस्लामी भाई को दे कर या मदनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को तलब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये। اَلْلَاهُ اَعُوْذُ بِجَاهِ الْيَتِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

फैज़ाने मदीना

त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर,

अह़मदआबाद-1, गुजरात

Mo. 84696 05565 • www.dawateislamiindia.org

दा'वते इस्लामी की झल्कियां

- (1) **200 ममालिक :** ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ﴾ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की गैर सियासी तहरीक “दा'वते इस्लामी” ता दमे तहरीर बे शुमार मकामात में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है और आगे कूच जारी है।
- (2) **तब्लीग :** लाखों बे अ़मल मुसल्मान, नमाज़ी और सुन्नतों के आदी बन चुके हैं।
- (3) **मदनी क़ाफ़िले :** आशिक़ाने रसूल के सुन्नतें सीखने और सीखाने के बे शुमार मदनी क़ाफ़िले शहर ब शहर और क़रिया ब क़रिया सफ़र कर के इलमे दीन और सुन्नतों की बहारें लुटा रहे हैं और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे हैं।
- (4) **मदनी दारुस्सुन्ह :** मुतअ़द्दद मकामात पर मदनी दारुस्सुन्ह क़ाइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर क़ियाम करते आशिक़ाने रसूल की सोहबत में सुन्नतें सीखते और फिर कुर्बों जवार में जा कर “नेकी की दा'वत” के मदनी फूल महकाते हैं।
- (5) **मसाजिद की ता'मीर:** के लिये मजलिसे खुदामुल मसाजिद क़ाइम है, मुतअ़द्दद मसाजिद की ता'मीरात का हर वक़्त सिल्सिला रहता है, कई शहरों में “मदनी मर्कज़ फैज़ाने मदीना” की ता'मीरात का काम भी जारी है।
- (6) **आइम्मए मसाजिद :** बे शुमार मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन और ख़ादिमीन के मुशाहरे (तन ख़ाहों) की अदाएँगी का भी सिल्सिला है।
- (7) **गुंगे, बहरे और नाबीना :** इन के अन्दर भी मदनी काम हो रहा है और इन के मदनी क़ाफ़िले भी सफ़र करते रहते हैं।

(8) इज्जितमाई ए'तिकाफ़ : बे शुमार मसाजिद में माहे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अःशरह में इज्जितमाई ए'तिकाफ़ का एहतिमाम किया जाता है। इन में इस्लामी भाई इल्मे दीन हासिल करते, सुन्नतें सीखते हैं नीज़ कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आशिक़ाने रसूल के साथ सुन्नतों भरे मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं।

(9) बड़ा इज्जितमाअः : मुख्तलिफ़ मक़ामात पर होने वाले हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्जितमाअःत के इलावा सूबाई सत्ह पर भी सुन्नतों भरे इज्जितमाअःत होते हैं। जिन में हज़ारों, लाखों आशिक़ाने रसूल शिर्कत करते हैं और इज्जितमाअः के बा'द खुश नसीब इस्लामी भाई सुन्नतें सीखने के लिये मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते हैं।

(10) इस्लामी बहनों में मदनी इन्क़िलाब : इस्लामी बहनों के भी शरई पर्दे के साथ मुतअःदद मक़ामात पर हफ़्तावार इज्जितमाअःत होते हैं। लाता'दाद बे अःमल इस्लामी बहनें बा अःमल, नमाज़ी और मदनी बुर्क़ओं की पाबन्द बन चुकी हैं। अक्सर घरों के अन्दर इन के तक़रीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना (बराए बालिग़ात) भी लगाए जाते हैं, एक अन्दाज़े के मुताबिक़ फ़क़त इस्लामी बहनों के दो हज़ार मद्रसे तक़रीबन रोज़ाना लगते हैं जिन में इस्लामी बहनें कुरआने पाक, नमाज़ और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं।

(11) मदनी इन्अ़ामात : इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और तुलबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात और अख़लाक़िय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचाने के लिये मदनी इन्अ़ामात की सूरत में एक निज़ामे अःमल दिया गया है। बे शुमार

इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और तुलबा मदनी इन्नामात के मुताबिक़ अ़मल कर के रोज़ाना सोने से क़ब्ल “फ़िक्रे मदीना” या’नी अपने आ’माल का जाएज़ा ले कर कार्ड या पोकिट साइज़ रिसाले में दिये गए ख़ाने पुर करते हैं।

(12) मदनी मुज़ाकरात : बसा अवक़ात मदनी मुज़ाकरात के इज्जिमाआत का इन्ह़क़ाद भी होता है जिस में अ़क़ाइदो आ’माल, शरीअ़तो तरीक़त तारीखो सीरत, तिबाबत व रुहानिय्यत वगैरा मुख्तलिफ़ मौजूआत पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं। (ये जवाबात खुद अमीरे अहले सुन्नत ﷺ इर्शाद फ़रमाते हैं। मजलिसे मक्तबतुल मदीना)

(13) रुहानी इलाज और इस्तिख़ारा : दुख्यारे मुसल्मानों का ता’वीज़ात के ज़रीए फ़ी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है नीज़ इस्तिख़ारा करने का सिल्सिला भी है। रोज़ाना हज़ारों मुसल्मान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं।

(14) हुज्जाज की तरबियत : हज़ के मौसिमे बहार में हाजी केम्पों में मुबल्लिग़ीने दा’वते इस्लामी हाजियों की तरबियत करते हैं। हज़ व ज़ियारते मदीनए मुनव्वरह में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़िरों को हज़ की किताबें भी मुफ़्त पेश की जाती हैं।

(15) ता’लीमी इदारे : ता’लीमी इदारों मसलन दीनी मदारिस, स्कूल्ज़, कोलिजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा व तुलबा को मीठे मीठे आक़ा मदीने वाले मुस्तफ़ा ﷺ की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी मदनी काम हो रहा है। बे शुमार तुलबा सुन्नतों भरे इज्जिमाआत में शिर्कत करते हैं नीज़ मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते रहते हैं। اَللّٰهُمْ مُتَعَذِّزُ بِكَ

तुलबा, नमाज़ी और सुन्नतों के आदी हो गए।

(16,17) जामिअतुल मदीना : कसीर जामिअत बनाम “जामिअतुल मदीना” क़ाइम हैं इन के ज़रीए ला ता’दाद इस्लामी भाइयों को (ह़स्बे ज़रूरत कियाम व त़आम की सहूलतों के साथ) दर्सें निज़ामी (या’नी आलिम कोर्स) और इस्लामी बहनों को आलिमा कोर्स की मुफ़्त ता’लीम दी जाती है। दर्सें निज़ामी से फ़ारिगुत्तहसील होने वालों को तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह (मुफ़्ती कोर्स) भी करवाया जाता है।

(18) मद्रसतुल मदीना : हिफ़्ज़ो नाज़िरा के ला ता’दाद मदारिस बनाम “मद्रसतुल मदीना” क़ाइम हैं। ता दमे तहरीर हज़ारों मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को हिफ़्ज़ो नाज़िरा की मुफ़्त ता’लीम दी जा रही है।

(19) मद्रसतुल मदीना (बालिग्रान) : इसी तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद वगैरा में उमूमन बा’द नमाज़े इशा हज़ारहा मद्रसतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में इस्लामी भाई सहीह मख़ारिज से हुरूफ़ की दुरुस्त अदाएंगी के साथ कुरआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाज़े वगैरा दुरुस्त करते और सुन्नतों की मुफ़्त ता’लीम हासिल करते हैं।

(20) शिफ़ाखाने : महदूद पैमाने पर शिफ़ाखाने भी क़ाइम हैं जहां बीमार तुलबा और मदनी अमले का मुफ़्त इलाज किया जाता है। ज़रूरतन दाखिल भी करते हैं नीज़ हस्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के ज़रीए भी इलाज की तरकीब बनाई जाती है।

(21) तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह : या’नी “मुफ़्ती कोर्स” का भी सिल्सिला है जिस में मुतअद्दद उलमाए किराम इफ़ता की तरबियत पा रहे हैं।

(22) दारुल इफ़ता अहले सुन्नतः : मुसल्मानों के शरई मसाइल के हल

के लिये मुतअःदृढ़ “दारूल इफ़्ता” क़ाइम किये गए हैं जहां दा’वते इस्लामी के मुबल्लिग़ीन मुफ़ितयाने किराम, बिल मुशाफ़ा, तहरीरी और मक्तूबात के ज़रीए शरई मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। अक्सर फ़तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं।

(23,24) मक्तबतुल मदीना और अल मदीनतुल इल्मिय्या : इन दोनों इदारों के ज़रीए सरकारे आ’ला हज़रत और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें ज़ेबरे त़ब्घु से आरास्ता हो कर लाखों लाख की तादाद में अःवाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं।

(25) मजलिसे तफ़तीशे कुतुबो रसाइल : गैर मोहतात कुतुब छापने के सबब उम्मते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिया के सद्वे बाब के लिये “मजलिसे तफ़तीशे कुतुबो रसाइल” क़ाइम है जो मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुब को अःक़ाइद, कुफ्रिय्यात, अख्लाकिय्यात, अरबी इबारात और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से मुलाहज़ा कर के सनद जारी करती है।

(26) मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ : मुबल्लिग़ीन के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतिमाम किया गया है मसलन 41 दिन का मदनी क़ाफ़िला कोर्स, 63 दिन का कोर्स, गूँगे बहरों के लिये 30 दिन का कोर्स, इमामत कोर्स और मुदर्रिस कोर्स वगैरहम।

(27) फैज़ाने कुरआनो सुन्नत कोर्स : स्कूल, कौलिज और यूनीवर्सिटी के तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ़ को ज़रूरिय्याते दीन से रु शनास करवाने के लिये अपनी नौझ्य्यत का मुन्फ़रिद “फैज़ाने कुरआनो सुन्नत कोर्स” भी शुरूअ़ किया गया है, इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है।

مأخذ و مراجع

ضياء القرآن	قرآن مجید ترجمة كنز الایمان
دارالكتب العلمية بيروت	صحیح البخاری
دار ابن حزم بيروت	صحیح مسلم
كتب خانه رشید یارہلی	مرایل ابی داؤد مع ابی داؤد
دارالكتب العلمية	المجمع الاوسط
دارالمعرفة بيروت	در مختار مع رواجع
دارالمعرفة بيروت	رواچار
دارالكتب بيروت	کنز العمال
داراللگر بيروت	فردوس الاخبار
رضا فاؤنڈیشن	الفتاوى الهندية
مکتبہ رضویہ باب المدینہ	الفتاوى الخواجیہ
داراللگر بيروت	المحترائق
	النھر الفائق
	فتاویٰ رضویہ
	الفتاوى المصطفویہ
	بہار شریعت
	بدائع الصنائع

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या की तरफ से पेशकर्दा क़ाबिले मुतालआ कुतुब

﴿شو'बएِ اِسْلَامِیٰ کُتُب﴾

- (01) गौसे पाक ﷺ के हालात
- (02) तकब्बुर
- (03) 40 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
- (04) बद गुमानी (05) क़ब्र में आने वाला दोस्त
- (06) नूर का खिलोना
- (07) आ'ला हज़रत की इन्फ़िरादी कोशिशें
- (08) फ़िक्र मदीना
- (09) इम्तिहान की तयारी कैसे करें ?
- (10) रियाकारी
- (11) कौमे जिनात और अमीरे अहले सुन्नत
- (12) उँशर के अहङ्काम
- (13) तौबा की रिवायात व हिकायात
- (14) फैज़ाने ज़कात
- (15) अहादीसे मुबारका के अन्वार
- (16) तरबिय्यते औलाद
- (17) काम्याब तालिबे इल्म कौन ?
- (18) टीवी और मूवी
- (19) तलाक के आसान मसाइल
- (20) मुफ्तये दा'वते इस्लामी
- (21) फैज़ाने चेहल अहादीस
- (22) शहै शजरए क़ादिरिय्या
- (23) नमाज़ में लुक्मा देने के मसाइल
- (24) खैफे खुदा
- (25) तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत
- (26) इन्फ़िरादी कोशिश
- (27) आयाते कुरआनी के अन्वार
- (28) नेक बनने और बनाने के तरीके
- (29) फैज़ाने एहयाउल उलूम
- (30) ज़ियाए सदक़ात

﴿शो'बए तख्वीज﴾

- (1) सहाबए किराम رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین का इश्के रसूल
- (2) बहारे शरीअृत, जिल्द अव्वल (हिस्सा अव्वल ता शशुम)
- (3) बहारे शरीअृत, जिल्द दुबुम (हिस्सा 7 ता 13)
- (4) उम्महातुल मुअमिनीन رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- (5) अ़जाइबुल कुरआन मअृ ग़राइबुल कुरआन
- (6) गुलदस्ताए अ़काइदो आ'माल
- (7) बहारे शरीअृत (सोलहवां हिस्सा)
- (8) तहकीकात
- (9) अच्छे माहोल की बरकतें
- (10) जनती ज़ेवर
- (11) इल्मुल कुरआन
- (12) सवानेहे करबला
- (13) अरबईने हैनफिय्या
- (14) किताबुल अ़काइद
- (15) मुन्तख़ब हृदीसें
- (16) इस्लामी ज़िन्दगी
- (17) आईनए क़ियामत
- (18 ता 24) फ़तावा अहले सुन्नत (सात हिस्से)
- (25) हक़्क व बातिल का फ़क़्ر
- (26) बिहिश्त की कुन्जियां
- (27) जहन्नम के ख़तरात
- (28) करामाते सहाबा
- (29) अख्लाके सालिहीन
- (30) सीरते मुस्त़फ़ा
- (31) आईनए इब्रत
- (32) बहारे शरीअृत, जिल्द सिवुम
- (33) जनत के त़लबगारों के लिये मदनी गुलदस्ता
- (34) फैज़ाने नमाज़
- (35) 19 दुरूदो सलाम
- (36) फ़तावा अहले सुन्नत (आठवां हिस्सा)
- (37) फैज़ाने यासीन शरीफ मअृ दुआए निस्फ़े शा'बानुल मुअ़ज्ज़म

﴿شُو'بَّاً إِنْ تَرَأْسِي مَكْتُوبٌ﴾

- (1) اعلیٰ اللہ علیہ و سلم بآپ سے و ظاہر (جملہ الاریاء و طبقات الاصفیاء)
- (2) نے کی کی دا'vat کے فوجاً ایل (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)
- (3) مدنی آکا کے روشان فیصلے (الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاهِرِ وَالظَّاهِرِ)
- (4) سایہ اُرث کیس کیس کو میلے گا؟ (تَعْهِيدُ الْقَرْشِ فِي الْجِهَالَةِ الْمُوَجَّهَ إِلَيْهِ الْعَرْشِ)
- (5) نے کیوں کی جزاً اُن اور گناہوں کی سزاً (فُرْقَةُ الْغَيْوَنِ وَمَفْرَخُ الْقُلُبِ الْمُحَزَّوْنَ)
- (6) نسیہت کے مدنی فول ب وسیلے اہم دیسے رسالت (الْمَوَاعِظُ فِي الْأَحَادِيثِ الْقَدِيسَةِ)
- (7) جننات میں لے جانے والے آماں (الْمُتَجَرُ الرَّابِعُ فِي تَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ)
- (8) امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الکرم کی وسیطت (وَصَايَا إِمَامَ أَعْظَمٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ)
- (9) جہنم میں لے جانے والے آماں (جیلد ابوال)
- (10) جہنم میں لے جانے والے آماں (جیلد دوپھ)
- (11) فیجنے مجاہراتے ایلیا (كَشْفُ الْتُّورِ عَنْ أَحْسَابِ الْقُبُوْرِ)
- (12) دنیا سے بے رجوتی اور عتمادوں کی کمی (الرُّهْمَوْ قُصْرُ الْأَمْلِ)
- (13) راہے اسلام (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقُ التَّعْلُمِ)
- (14) دینی ایجاد (مُتَرْجَم، حِسْسَہ ابوال)
- (15) دینی ایجاد (مُتَرْجَم، حِسْسَہ دوپھ)
- (16) اہمیات دلوم کا خولاسا (لُبُّ الْأَحْيَاءِ)
- (17) ایجاد اور نسیہت (الرُّوْضَةُ الْفَانِقِ)
- (18) اچھے بورے اُمالم (رِسَالَةُ الْمُذَكَّرَةِ)
- (19) شوک کے فوجاً ایل (الشَّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)
- (20) ہونے اخڈاک (مَكَارُمُ الْأَخْلَاقِ)
- (21) آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ)
- (22) آدابے دین (الْأَدَبُ فِي الدِّينِ)
- (23) شاہراہے ایلیا (مِنْهَاجُ الْعَارِفِينَ)
- (24) بے تے کو نسیہت (إِيَّاهُ الرَّكْدِ)
- (25) الدُّغْرَةُ إِلَى الْفَكْرِ
- (26) اسلام اے آماں (الْحَدِيْقَةُ الدَّلِيْلَةُ شَرْحُ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ)
- (27) ایسا کیا نے ہدیس کی ایجاد (اللِّرْحَلَةُ فِي طَلْبِ الْحِدِيْثِ)
- (28) اہمیات علوم الدین (احیاء علوم الدین)
- (29) کوئل کولب مُتَرْجَم (جیلد ابوال)

नेक नमाजी बनने के लिये

हर जुमे'रात बा'द नमाजे मगरिब आप के यहां होने वाले दा'वते इस्लामी के हप्तावार सुन्तों भरे इज्ञामाअः में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी नियतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ﴿١﴾ सुन्तों की तरबियत के लिये मदनी क़ाफ़िले में आशिकाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफर और ﴿٢﴾ रोज़ाना जाएज़ा लेते हुए नेक आ'माल का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्मः करवाने का मा'मूल बना लीजिये ।

मेरा मदनी मक्सद : “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है । إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَوْلٰي ” अपनी इस्लाह के लिये “नेक आ'माल” पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये “मदनी क़ाफ़िलों” में सफर करना है । إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَوْلٰي